किसान आदिवासी संगठन/समाजवादी जन परिषद

कार्यालय : केसला, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)–461111

फोन : (07572) . 272291

कितनी बार उजड़ेंगे होशंगाबाद जिले के आदिवासी ?

तत्काल कुछ करें

प्रिय साथी,

होशंगाबाद जिले में बोरी अभयारण्य के आदिवासी गांवों को विस्थापित करने के वन विभाग के ताजे अभियान से पैदा हुए संकट के बारे में आपको यह पत्र लिख रहे हैं।

आदिवासियों के घनघोर विस्थापन की दृष्टि से होशंगाबाद जिला देश में शायद अनूठा होगा और सिंगरौली के बाद शायद इसका ही नम्बर होगा। तीस साल पहले तवा बांध (नर्मदा की सहायक तवा नदी पर सिंचाई के लिए बना बांध) से 44 आदिवासी गांव डूबे, प्रूफ रेंज (फौज का फायरिंग रेंज, जिसमें गोला–बारूद का परीक्षण होता हैं) में 26 आदिवासी गांव उजड़े, और कुछ वर्ष बाद ओर्डनेन्स फेक्टरी में 9 गांवों की जमीन ली गई जिनमें भी ज्यादातर आदिवासी थे। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाते समय एक आदिवासी गांव हटाया गया। इन सारे गांवों के विस्थापितों को या तो मुआवजा मिला ही नहीं या बहुत कम मिला। वैकल्पिक रोजगार की भी व्यवस्था नहीं की गई। उनका पुनर्वास नहीं के बराबर हुआ। अपनी मांगों को लेकर वे दरखास्तें देते रहे, कभी–कभी धरना–जुलुस भी करते रहे।

होशंगाबाद जिले में ही वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य तथा पचमढ़ी अभयारण्य बनाए गए हैं। इन्हें 'टाइगर प्रोजेक्ट' में शामिल किया गया हैं। इनमें क्रमशः आठ, सत्रह और पचास आदिवासी गांव हैं, जिनकी जिंदगियों पर अनेक पाबंदियाँ लगा दी गई हैं।

वर्ष 1994–95 में वन विभाग ने बोरी अभयारण्य के 17 गांवों को तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 8 गांवों को खाली कराने की योजना बनाई। बोरी अभयारण्य के गांववासियों ने इसका एकमत से विरोध किया और हटने से इंकार कर दिया। बोरी अभयारण्य के गांववासियों, तवा बांध के विस्थापितों और प्रूफ रेंज के विस्थापितों का एक मिला–जुला आंदोलन दो–तीन वर्ष तक चला। इसमें लोग कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1996 को मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रि परिषद ने निम्न निर्णय लिये – i) राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से बिना सहमति के किसी को नहीं हटाया जाएगा तथा ग्रामवासियों के पारंपरिक अधिकार कायम रखे जाएंगे। तवा जलाशय के किनारे डूब की खेती करने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। (ii) तवा जलाशय में मछली पकड़ने और बेचने का अधिकार तवा बांध के विस्थापितों और प्रभावितों को सहकारिता के आधार पर दिया जाएगा। (iii) तवा जलाशय में डूब की खेती पर शुल्क पांच वर्ष के लिए माफ किया जाएगा। (iv) तवा जलाशय के किनारे विस्थापितों के गांवों के लिए दो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई जाएगी तथा एक बंद पड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना को फिर से चालू किया जाएगा। (v) तवा बांध, प्रूफ रेंज तथा ओर्डनेन्स फेक्टरी के विस्थापितों को जमीन व पट्टे दिए जाएंगे।

इनमें अंतिम दो फैसलों का क्रियान्वयन आज तक पूरा नहीं हुआ हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के बावजूद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य के ग्रामवासियों पर पाबन्दियाँ, उत्पीड़न चालू रहा और लगातार उन्हें बताया जाता रहा कि एक दिन तो उन्हें हटना ही पड़ेगा।

हाल ही में, बोरी अभयारण्य के गांवों को हटाने की मुहिम फिर चालू हो गई हैं। पहले चरण में चार गांव हटाने की योजना बनाई हैं – धांई, बोरी, साकोट और खकरापुरा। (इनमें साकोट व खकरापुरा पहले से तवा बांध से विस्थापित हैं)। वन विभाग का कहना हैं कि चारो गांवों की सहमति प्राप्त कर ली गई हैं, किंतु साकोट और खकरापुरा के ग्रामवासियों का कहना हैं कि वे जाना नहीं चाहते, किंतु उन पर दबाव डाला जा रहा हैं। धांई और बोरी ने हटने के लिए सहमति दी हैं, क्योंकि वे बहुत अंदर जंगल में हैं और बाजार, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाएं बहुत दूर हैं। रोजगार भी वहाँ नहीं हैं। लेकिन इन्हें जहाँ बसाया जा रहा हैं, वहाँ की जमीन अच्छी नहीं हैं, जंगल कम हैं और उनका जीवन बरबाद हो जाएगा। वनोपज, तथा पालतू पशुओं (जिनके चरने के लिए अभी पर्याप्त जंगल हैं) का जो सहारा अभी हैं, वह भी छिन जाएगा। इसलिए धांई व बोरी गांवों को हटाना ही है, तो उन्हें बोरी अभयारण्य के केन्द्र से हटाकर अभयारण्य के अंदर ही तवा जलाशय वाले किनारे पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे बाहरी दुनिया से बहुत कटे भी न रहें और डूब की खेती करके अपना पेट भर सकें और जंगल का लाभ भी उन्हें मिलता रह।

इस विस्थापन से और भी कई समस्याएं पैदा होगी। धांई, बोरी और साकोट गांवों को जिले की बाबई तहसील एवं बागड़ा (रेंज) वन परिक्षेत्र में सेमरी हरचंद के पास वन के कक्ष क्र. पी–117, पी–118 और पी–115 में बसाने की योजना हैं। किंतु यहाँ कई गांव पहले से बसे हैं। वहीं पर डोब झिरना और घोघरीखेड़ा नामक दो गांवों के आदिवासियों को अतिक्रमण बताकर पिछले तीन महीने से बेदखल करने में वन विभाग लगा हैं और लगातार हटाने की धमकी व नोटिस दे रहा हैं। ये लोग पिछले पन्द्रह वर्ष से यहाँ बसे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तथा उमा भारती दोनों पिछले चुनावों में घोषणा कर चुके हैं कि 1993 से पहले के वनभूमि पर काबिजों को पट्टे दिए जाएंगे। इसके बावजूद वन विभाग उनके पीछे पड़ा हैं। संभवतः बोरी अभयारण्य के ग्रामवासियों को बसाने के लिए ही उन्हें हटाया जा रहा हैं। वे कहाँ जाएंगे, इसका कोई जवाब या कोई परवाह वन विभाग तथा प्रशासन को नहीं हैं। डोबझिरना और घोघरीखेड़ा को मिलाकर एक सौ से ज्यादा आदिवासी परिवार हैं। उन्हें वन विभाग गोली मारने, लाठी मारने और जेल भेजने की धमकियाँ दे रहा हैं। उनके पास राशन कार्ड, आवास के पट्टे व फोटो परिचय पत्र हैं, मतदाता सूची में उनके नाम हैं। इसके बावजूद उनके साथ दुश्मनों जैसा बरताव किया जा रहा हैं।

इसी इलाके में डोलरिया खुर्द के पास नयाखेड़ा नामक बस्ती तवा बांध के विस्थापित आदिवासियों की हैं। तीस साल पहले जूजादेह गांव तवा बांध में डूब जाने से ये लोग यहाँ आकर बसे। उन्हें जो जमीन खेती के लिए बताई गई थी, उसमें से बहुत सी भूमि को वन विभाग ने बाद में छीन लिया और वहाँ प्लान्टेशन कर दिया। इन्हें वर्ष 1991 में राजस्व विभाग ने कुछ भूमि के पट्टे भी दिए थे, किंतु बाद में निरस्त कर दिए गए। भूमि और भूमि के अधिकार के लिए वे कई सालों से लड़ रहे हैं, किंतु सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। अब उनके बगल में ही बोरी अभयारण्य से लोगों को लाकर बसाया जाएगा। जिस जंगल को काटकर (एवं डोबझिरना व घोघरीखेड़ा को बेदखल करके) अभयारण्य के तीन गांवों को बसाया जाएगा, उससे अभी कम से कम पांच–छः आदिवासी गांव अपना निस्तार करते हैं, मवेशी चराते हैं, लकड़ी–कांटे–गेड़ी की जरूरतें पूरी करते हैं तथा वनोपज संग्रह करते हैं। इन सारे गांव के जीवन पर संकट आ जाएगा। यही नहीं, महुआ, गुल्ली, अचार, तेंदूपत्ता

आदि के लिए आपस में संघर्ष भी होगा। इन गांवों ने, तीन नए गांवों को बसाने का कड़ा विरोध किया हैं और 21 सितंबर को तहसील मुख्यालय बाबई में प्रदर्शन भी किया हैं।

इसी प्रकार, बोरी अभयारण्य के ग्राम खकरापुरा को सुखतवा रेंज (वन परिक्षेत्र) में वन कक्ष क्रमांक पी–11 में बसाने की योजना हैं, जिससे वहाँ आसपास बसे सोमूखेड़ा, बोरखेड़ा, बासनिया, धार, झिरनापुरा, गाजनियाबेड़ा आदि आदिवासी गांवों का एकमात्र जंगल छिन जाएगा तथा उनका जीवन संकट में आ जाएगा। इनमें से कई गांव प्रूफ रेंज से विस्थापित हैं, जिन्हें आज तक उनके हक के मुताबिक जमीन नहीं मिली। इन गांवों ने भी एक और गांव को उनका जंगल काटकर बसाने की योजना का विरोध किया हैं।

इस प्रकार, बोरी अभयारण्य से विस्थापन की इस योजना से कई तरह के संकट पैदा होंगे। जिन्हें विस्थापित किया जा रहा हैं, उनकी जिंदगी बरबाद होगी। तथा जहाँ उन्हें बसाया जा रहा हैं, वहाँ के एक दर्जन गांवों की भी जिंदगी बरबाद हो जाएगी। ग्रामवासियों और आदिवासियों में नए आपसी संघर्ष पैदा होंगे। इस योजना का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो इन सारे गांवों को, वनभूमि पर ही, हजारों हेक्टेयर जंगल साफकर के बसाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उस इलाके में आसपास के बचे–खुचे जंगल पर भी गांवों की आबादी का दबाव बढ़ जाने से वह भी दो–चार सालों में नष्ट हो जाएगा।

अभयारण्य या टाईगर प्रोजेक्ट के अंदर आदिवासी गांव रहने से क्या परेशानी हैं, यह भी समझ में नहीं आता हैं। आदिवासी तो हजारों सालों से वहाँ रह रहा हैं। जंगल और जंगली जानवरों के साथ उसके जीवन का सह–अस्तित्व हैं। यदि जंगल और वन्यप्राणी नष्ट हुए हैं, तो इसके लिए स्वयं सरकार तथा बाहरी लोग दोषी हैं। (इसी इलाके में 20 हजार हेक्टेयर से ज्यादा घना जंगल तवा बांध में डूबा हैं।) इसके लिए उसे क्यों सजा दी जा रही हैं ? अभयारण्य के अंदर गांव रहने से कोई कानूनी दिक्कत भी नहीं हैं और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जिला कलेक्टर चाहे तो ग्रामवासियों को अपने पारंपरिक व जरूरी अधिकारों के साथ रहने की अनुमति दे सकता हैं। इसके अतिरिक्त, अभयारण्य के अंदर ग्रामवासी तथा उनके मवेशी रहने से घास–चारे पर नियंत्रण रहता हैं तथा भीषण आग फैलने की संभावना कम रहती हैं। आग लगने पर बुझाने का काम भी ग्रामवासी ही करते हैं।

वन विभाग जो कर रहा हैं, वह 1996 में म.प्र. सरकार की मंत्रिपरिषद के फैसले की भावना का भी उल्लंघन हैं। इतने संघर्ष के बाद आदिवासियों ने जो हक हासिल किया था, उसे भी छीना जा रहा हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में आदिवासियों व आदिवासी इलाकों को जो सुरक्षा दी गई हैं, उनका भी हनन हैं। उल्लेखनीय हैं के सारे प्रभावित गांवों की ग्राम सभाओं से भी पूछने की जरूरत वन विभाग के अफसरों ने नहीं समझी हैं। सवाल यह भी हैं, होशंगाबाद जिले के आदिवासियों को कितनी बार उजाड़ा जाएगा ? इसी प्रकार सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के आठ गांवों पर भी विस्थापन की तलवार लटक रही हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य के अंदर तथा आसपास के सौ से ज्यादा गांवों के अधिकारों के विषय में भी आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया हैं। इसके अतिरिक्त, इनके आसपास के दस कि.मी. क्षेत्र को भी वनविभाग 'संवेदनशील' घोषित करना चाहता हैं, जिसमें होशंगाबाद व बैतूल जिले के लगभग साढ़े तीन सौ गांवों और चार शहरों की जिंदगियाँ भी प्रभावित होगी। पर्यावरण तथा वन्य जीवन संरक्षण के नाम पर एक प्रकार का आंतकवाद और तानाशाही का राज चलाया जा रहा हैं। हाल ही में, बोरी अभयारण्य के वनग्राम मल्लूपुरा में वन विभाग के अफसरों ने सात–आठ घर तोड़ दिए। बगल के बैतूल जिले में भी भंडारपानी, दानवाखेड़ा, घोरपड़माल, आदि आदिवासी गांवों को पिछले दिनों

निर्दयता से उजाड़ा हैं, मारा है, जेल में डाला हैं, झूठे केस बनाए हैं। बुरहानपुर व खंडवा जिलों में तो आदिवासियों पर गोली भी चलाई गई हैं। सवाल हैं कि जिसे सबसे पुराना मूल निवासी माना जाता हैं, उस आदिवासी का कोई हक हैं या नहीं ? उसे जिंदा रहने और अपना पेट भरने की आजादी भी होगी या नहीं ?

आपसे अनुरोध हैं कि कृपया देश के एक संवेदनशील नागरिक के नाते आप तत्काल हस्तक्षेप करें। आदिवासियों की इस पीड़ा को समर्थन दें, प्रचार करें, जनमत जुटाएं व मदद दें। कृपया मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, वनमंत्री और होशंगाबाद कलेक्टर को तत्काल पत्र लिखकर निम्न मांग करें –

(1) बोरी अभयारण्य व सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के गांवों का विस्थापन तत्काल रोका जाए। ग्राम धांई व बोरी को अभयारण्य के अंदर ही तवा जलाशय के किनारे बसाया जाए। गांवों को पारंपरिक व न्यूनतम मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।

(2) ग्राम डोबझिरना तथा घोघरीखेड़ा (बागड़ा वन परिक्षेत्र, बाबई तहसील, जिला होशंगाबाद) के आदिवासियों की बेदखली को तत्काल रोका जाए, उन्हें जमीन के पट्टे दिए जाएं और उनके जिंदा रहने के अधिकार की रक्षा की जाय।

(3) नयाखेड़ा (ग्राम डोलरिया खुर्द, बाबई तहसील, जिला होशंगाबाद) सहित तवा बांध–प्रूफ रेंज–ओर्डनेन्स फेक्टरी–सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के सारे विस्थापितों को जमीन, पट्टे, रोजगार, सिंचाई दी जाए। उनका समुचित पुनर्वास किया जाए।

(4) जब तक पुराने विस्थापितों का पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता, कोई भी नया गांव विस्थापित नहीं किया जाय।

(5) आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों, सम्मान व चैन के साथ जिंदा रहने के अधिकारों तथा मानवीय अधिकारों का पूरा सम्मान एवं रक्षा की जाए।

संबंधित पते इस प्रकार हैं –

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, म॰प्र॰ शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
फेक्स : 0755 – 2540501

(2) चौ॰ चन्द्रभान सिंह, वनमंत्री, म॰प्र॰ शासन, वल्लभ भवन, भोपाल

(3) श्री हरिरंजन राव, कलेक्टर, होशंगाबाद, म॰प्र॰
E-Mail: dm@mphsnbd.mp.nic.in

(4) फागराम, सचिव, किसान आदिवासी संगठन, ग्राम/पो. केसला, जिला होशंगाबाद, म॰प्र॰
फोन : 07572 – 272291

हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।

आपके सहयोग की अपेक्षा में,

फागराम	सुनील	भूरेलाल मांझी
सचिव,	राष्ट्रीय महामंत्री,	जिला अध्यक्ष,
किसान आदिवासी संगठन	समाजवादी जन परिषद	समाजवादी जन परिषद